न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—277/2015/223 (2015/00151)

1. हीरा पुत्र स्व0 चांदा पौत्र स्व0 कज्जा, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह0 व जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम शहबुद्दीन पुत्र मोहम्मद नूर, जाति चीता नि0 सोमलपुर, तहसील व जिला अजमेर ।
2. रूपा पुत्र स्व0 चांदा पौत्र स्व0 कज्जा, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह0 व जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती सायरी पत्नि रूपा जाति चीता,
   2/2— नसीर पुत्र रूपा, जाति चीता,
   2/3— सईदा पुत्री रूपा, जाति चीता,
   2/4— रशीदा पुत्री रूपा, जाति चीता,
   2/5— रमजानी पुत्री रूपा, जाति चीता,
   2/1 से 2/5 जरिये मुख्तयारआम शहाबुद्दीन पुत्र मोहम्मद नूर, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्**पोडेंट**

2. श्रीमती कमला पुत्र स्व0 चांदा, जाति चीता, नि0 सोमलपुर, तह. व जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 3.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 97/2010.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. **श्री ताराचंद कुर्डिया, वकील रेस्पो0 संख्या 3.**

निर्णय

दिनांकः—10.04.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोमलपुर, तहसील व जिला अजमेर में स्थित भूमि जिसके चौसाला खसरा नंबर 2583 मिन जिसके वर्किंग खसरा नंबर 3037 रकबा 6—6—0 की भूमि के खातेदार चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के खाता संख्या 497 के चौसाला खसरा नंबर 2583 मिन रकबा 7 बीघा एवं अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 221 के अनुसार खातेदार चांदा पुत्र कज्जा जाति चीता दर्ज है, अपीलाधीन भूमि जिसके चौसाला जमाबंदी के अनुसार खातेदार चांदा पुत्र कज्जा थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान अपीलांटस है किन्तु भू—प्रबंध विभाग ने विवादित आराजी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के सिवायचक दर्ज

कर दिया । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि जिसके चौसाला खसरा नंबर 2584 मिन रकबा 7 बीघा के खातेदार चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के खाता नंबर 497 के अनुसार एवं अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 221 के अनुसार चांदा पुत्र कज्जा जाति चीता थे परन्तु वर्किग जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी पूर्ववत चौसाला जमाबंदी के प्रतिकूल इंद्राज भू–प्रबधं विभाग, अजमेर के द्वारा किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण इंद्राज है । भू–प्रबधं विभाग को पूर्व इंद्राज को परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित कर दिया । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने से पूर्व में वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात भी कायम नहीं की है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी संख्या 2/3 सलीम का स्वर्गवास हो चुका था जिसका नाम वादपत्र में से तर्क किये जाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विवादित भूमि अपीलांटस/वादीगण की पुश्तैनी बापोती की ख्याातेदारी भूमि है एवं पुश्तैनी समय से चांदा एवं इनके स्वर्गवास के बाद अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलांटस ने अपने कब्जे काश्त के संबधं में अधी0न्याया0 के समक्ष खसरा गिरदावरियां, चौसाला जमाबदी, मिलान क्षैत्रफल, वर्किग जमाबंदी पेश की थी किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में अपने निर्णय में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है । भू–संशोधन की जमाबंदी संवत् 2027 के अनुसार भी खातेदारी इंद्राज दर्ज है, भू–संशोधन जमाबंदी के इद्रांज के अनुकूल ही राज्य सरकार द्वारा यह अधिसूचना एवं नियम 20–क के अनुसार भी अपीलाधीन भूमि जो कि वादीगण की बापोती भूमि है का इंद्राज वर्तमान जमाबंदी में वादीगण के नाम किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस को वाद में चाहे गये अनुतोष के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

5. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित चौसाला जमाबंदी में सिवायचक दर्ज होने से वर्किग जमाबुंदी में सिवायचक दर्ज की गई है यह इंद्राज विधिसम्मत् है । अपीलांटस विवादित भूमि पर मात्र अतिक्रमी है जिसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

विवादित भूमि चौसाला खसरा नंबर 2583 मिन जिसके वर्किंग खसरा नंबर 3037 रकबा 6–6–00 के खातेदार पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के खाता संख्या 497 में एवं जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 221 के अनुसार चांदा पुत्र कज्जा जाति चीता दर्ज है एवं वर्किंग खसरा नंबर 3037 रकबा 6–6–00 के खातेदार हीरा व रूपा पि0 चांदा वर्किंग जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 में दर्ज है । उक्त भूमि नामांतकरण संख्या 533 दिनांक 6.4.1967 के अनुसार धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत चांदा वल्द कज्जा के नाम हक खातेदारी देकर नामांतकरण स्वीकृत किया गया था तद्नुसार राजस्व अभिलेख में चांदा वल्द कज्जा को खातेदार दर्ज किया जाना जाहिर होता है । खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2026 तक विवादित भूमि पर काश्त किया जाना प्रमाणित होता है परन्तु वर्किंग जमाबंदी में चौसाला खसरा नंबर 2583 के वर्किंग खसरा नंबर 3037 को भू–प्रबंध विभाग द्वारा सरकारी दर्ज कर दी गई इस कारण अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा कर बिना साक्ष्य लिये एवं बिना तनकियात कायम किये वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दौराने वाद वादी संख्या 2/3 सलीम एवं वादिया संख्या 3 हगामी का भी स्वर्गवास हो गया था जिनके नाम तर्क किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये थे परन्तु अधी0न्याया0 उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई निर्णय दिये बिना मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् नहीं है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर